भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2141
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली/मिलावटी औषधियां

2141. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता
श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नकली/मिलावटी औषधियों का व्यापार बिना किसी हस्तक्षेप के पूरे देश में फैल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में मिलावटी औषधियों/दवाओं के निर्माण और बिक्री का नेटवर्क है;

(ग] यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या देश भर में मिलावटी दवा के प्रसार और इसके निर्माण का एक कारण फार्मा कंपनियों के विनिर्माण संयंत्र (संयंत्रों) का न होना है;

(ङ) क्या सरकार को देश भर में मिलावटी दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसकी जांच के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): देश में औषधि के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और विनियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। देश में औषधि के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर नियामक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग

प्राधिकारियों (एस एल ए) द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में एस एल ए कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

सरकार ने विनिर्माताओं और नियामक अधिकारियों के लिए कानूनी प्रावधानों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण तथा जोखिम आधारित निरीक्षण जैसे उपायों सहित उपाय किए हैं। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए नमूनों, घटिया और नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधियों के नमूनो की संख्या के संदर्भ में की गई प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:

साल	**जांच किए गए नमूनों की संख्या**	**गैर मानक गुणवत्ता वाली घोषित औषधियों के नमूनों की संख्या**	**नकली/मिलावटी घोषित औषधियों के नमूनों की संख्या**	**मुकदमों की संख्या**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**
2018-19	79,604	2,549	205	484	153
2019-20	81329	2497	199	421	220
2020-21	84874	2652	263	236	164

*****